

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

महराजगंज, बाराबंकी, संतकबीर नगर, एवं खीरी

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 20 अक्टूबर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाढ़ से कृषि फसलों को हुई क्षति से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदों में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने तथा नदी के कटाव से बह गयी कृषि भूमि के प्रभावित कृषकों को राहत सहायता दिये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 975.00 लाख (रु0 नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि, कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि अग्रिम के रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	महराजगंज	—	650.00	650.00
2	बाराबंकी	400.00	25.00	425.00
3	संतकबीर नगर	800.00	50.00	850.00
4	खीरी	1000.00	250.00	1250.00
	योग	2200.00	975.00	3175.00

(रु0 नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 15 अक्टूबर 2020 तक भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना आदि जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के साथ ही इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic> पर कृषि क्षति के प्रारूप पर किसान वार डेटा भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्हीं व्यक्तियों/परिवारों को धनराशि वितरित की जाए जिनका डेटा वेबसाइट पर फीड कर सत्यापित कराया जा चुका हो।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

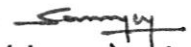
(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से हुई कृषि क्षति के अन्तिम आंकलन के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर जनपद की मांग पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

भवदीय,



(संजय गोयल)

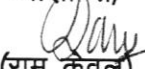
सचिव।

संख्या:-712(1)/एक-10-2020-33(36)/2018 टीसी-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-22/10/2020

प्रेषण संख्या:- 712
आवंटन आदेश संख्या:- 170-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 132000000	25000000 132000000
2	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 49500000	2500000 49500000
3	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	65000000 72000000	65000000 72000000
4	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 92000000	5000000 92000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	97500000 345500000	97500000 345500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ पचहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौतीस करोड़ पचपन लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन